झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

पत्रांक : IDSP/2020/149-Part-II - 42 (HSN) दिनांक : 20.01.2022

आदेश

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा कोविड–19 वायरस के परीक्षण की अनुमति निजी क्षेत्र की जाँच प्रयोगशालाओं को प्रदान किये जाने के आलोक में झारखण्ड राज्य में भी कोविड–19 संक्रमण के मद्देनजर निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं को RT-PCR के विधि से विभागीय आदेश सं0–IDSP/2020/149-Part-II – 495 (HSN) दिनांक–14.12.2020 को रु0 400/– (चार सौ) रुपये प्रति जाँच की दर से परीक्षण की अनुमति प्रदान की गई थी। RT-PCR Testing kit, Extraction kit तथा VTM kit के मूल्यों में लगातार गिरावट एवं अन्य राज्यों में निर्धारित शुल्क में कमी की विभागीय समीक्षोपरांत निदेशानुसार झारखण्ड राज्य में रु0 300/– (पी0पी0ई0 किट शुल्क एवं सभी कर सहित) प्रति जाँच संशोधित दर निर्धारित की जाती है।

मरीज के निवास स्थान से RT-PCR सैम्पल संग्रहण किये जाने हेतु अतिरिक्त रु0 100/– (एक सौ) रुपये प्रति Home visit की राशि निर्धारित की जाती है।

इसके अतिरिक्त पूर्व में विभागीय पत्रांक–IDSP/2020/149-Part-II–462 (HSN) दिनांक–01.12.2020 द्वारा निजी क्षेत्र के अस्पतालों/प्रयोगशालाओं में Rapid Antigen Test kit के माध्यम से कोविड–19 की प्रति जाँच दर रु0 150/– (Inclusive of GST/Taxes & PPE Kit cost) रुपये निर्धारित की गयी थी। RAT Kit (Rapid Antigen Test Kit) के मूल्यों में भी लगातार गिरावट एवं अन्य राज्यों में निर्धारित शुल्क में कमी की विभागीय समीक्षोपरांत झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य में निजी जाँच प्रयोगशालाओं/अस्पताल/क्लिनिक/नर्सिंग होम/डिस्पेंशरी में कोविड–19 की Rapid Antigen जाँच की अधिकतम दर 50/– रुपये प्रति जाँच (पी0पी0ई0 किट शुल्क एवं सभी कर सहित) निर्धारित की जाती है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन

20.1.22

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : IDSP/2020/149-Part-II - 42 (HSN) दिनांक : 20.01.2022

प्रतिलिपि :

1. मुख्य सचिव, झारखण्ड को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. सभी उपायुक्त, झारखण्ड राज्यान्तर्गत को सूचनार्थ प्रेषित।
5. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अध्यक्ष/सचिव, IMA, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
7. राज्य सर्विलेंस पदाधिकारी, IDSP, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
8. सभी सिविल सर्जन, झारखण्ड राज्यान्तर्गत को सूचनार्थ प्रेषित एवं निदेशित है कि अपने जिले में स्थित निजी जाँच प्रयोगशालाओं/अस्पताल/क्लिनिक/नर्सिंग होम/डिस्पेंशरी पर निरंतर निगरानी रखते हुए उक्त निदेशों की अनुपालन सुनिश्चित करायें।
9. संचालक, सभी निजी प्रयोगशालाओं/अस्पताल/क्लिनिक/नर्सिंग होम/डिस्पेंशरी झारखण्ड राज्यान्तर्गत को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

20.1.22

अपर मुख्य सचिव